सचिका स0–7 / बजट–46–01 / 2026 - 164 (7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण, भा.प्र.से

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),

वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनाक– 20/ 05 / 2026

विषयः– माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC सं० 2805 / 2026 के आलोक में बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध संस्थान (बिमहास) कोईलवर, भोजपुर में किये गये निरीक्षण के मद्देनजर संस्थान में ठीक हो चुके / स्थिर कुल 76 मनोरोगियो के स्वस्थ्य होने में मदद एवं मानसिक सुदृढ़िकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा विस्तृत प्रशिक्षण एवं रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम (मूल्यांकन शुल्क सहित) पर होने वाले व्यय हेतु अनुमानित कुल राशि रू० 18,63,000/–(रूपये अठारह लाख तिरसठ हजार) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के Learned Member, Bihar State Legal Services Authority द्वारा बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध संस्थान (बिमहास) कोईलवर, भोजपुर के निरीक्षण के उपरान्त समर्पित निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर स्वत संज्ञान लेते हुए लोक जनहित याचिका में दिनाक–18.02.2026 को विस्तृत न्यायादेश पारित किया गया है, जिसके आलोक मे बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एव सहबद्ध संस्थान (बिमहास) कोईलवर, भोजपुर के निरीक्षण के मद्देनजर संस्थान में ठीक हो चुके / स्थिर कुल 76 मनोरोगियो के स्वस्थ्य होने में मदद एवं मानसिक सुदृढिकरण हेतु बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा विस्तृत प्रशिक्षण एव रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम संचालित किया जाना है।

2– तद्क्रम में सचिव, युवा, रोजगार एव कौशल विकास विभाग–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, बिहार, पटना के पत्रांक–1477, दिनांक–11.04.2026 द्वारा किये गये मांग के आलोक मे माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC सं० 2805 / 2026 के आलोक में बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एव सहबद्ध संस्थान (बिमहास) कोईलवर, भोजपुर में किये गये निरीक्षण के मद्देनजर संस्थान में ठीक हो चुके / स्थिर कुल 76 मनोरोगियो के स्वस्थ्य होने में मदद एवं मानसिक सुदृढिकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा विस्तृत प्रशिक्षण एवं रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम (मूल्यांकन शुल्क सहित) पर होने वाले व्यय हेतु अनुमानित कुल राशि रू० 18,63,000/–(रूपये अठारह लाख तिरसठ हजार) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3– उक्त विस्तृत प्रशिक्षण एवं रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम (मूल्यांकन शुल्क सहित) बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा एजेन्सी का चयन करते हुए कराया जाएगा। कार्यक्रम कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान मे रखा जायगा:–

(i) कार्यक्रम प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्यक्रम किसी अन्य योजना से नही कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।

(ii) राशि का व्यय उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।

(iii) निदेशक, बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एव सहबद्ध सस्थान (बिमहास) कोईलवर एव प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा भी यह सम्पुष्टि कर ली जाएगी कि बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा अनुमानित आकलन के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न करा लिया गया है।

(iv) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, बिहार, पटना द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा। बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबधित कार्यादेश निर्गत के उपरान्त समय सीमा का पूर्ण अनुपालन की जिम्मेवारी भी मिशन की होगी।

(v) प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वियन मे विलम्ब के कारण अगर अनुमानित आकलित राशि की पुनरीक्षण की आवश्यकता पडी तो इसके लिए बिहार कौशल विकास मिशन के संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेंगे।

4– इस राशि के व्यय का वहन मॉग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2230– श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उपमुख्य शीर्ष–03–प्रशिक्षण, लघु शीर्ष–102–प्रशिक्षु प्रशिक्षण, उपशीर्ष–0102–स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में बिहार कौशल विकास मिशन, विपत्र कोड–20–2230031020102 अन्तर्गत विषय शीर्ष 0102–20–03–प्रशिक्षण व्यय ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

5– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

6– अवर सचिव–सह–निकासी, एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार कौशल विकास मिशन, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA016, विपत्र कोड–00-8448-00-120-0036-00-02 के अन्तर्गत ledger ID-895 मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

7– बिहार कौशल विकास मिशन, पटना इस राशि का धन ऋण (Plus-Minus Memoranda) ज्ञापन तथा व्यय के सुसंगत भाउचर्स/उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ ससमय कोषागार के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे तथा एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

8– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक–06.05.06, 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.08, 3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 एवं 3515/वि०, दिनांक–26.03.2025 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

9– विभागीय स्थायी वित्त समिति की दिनांक–21.04.2026 की बैठक की कार्यवाही के ज्ञापांक–211(7B), दिनाक–21.04.2026 में प्रस्ताव अनुशंसित है।

10– उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति स्कीम स्क्रीनिंग समिति की दिनांक–28.04.2026 को आहुत बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–353/लो०वि०/यो० वि०, पटना, दिनांक–28.04.2026 द्वारा अनुशंसित है।

11– प्रस्ताव एवं प्रारूप मे सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

12– प्रारूप में आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०–7/बजट–46–01/2026 के पृष्ठ–08/टि० पर प्राप्त है।

13— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

14— यह मात्र स्वीकृत्यादेश है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शंभु शरण) 20/05/26

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः—7/बजट—46—01/2026 —164(7A)/स्वा0, पटना, दिनाक—20/05/2026

प्रतिलिपिः— महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिलाधिकारी, भोजपुर/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भोजपुर/निदेशक, बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एव सहबद्ध सस्थान (बिमहास) कोईलवर, भोजपुर बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—मा0 मंत्री, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।